न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 71/2021

1. इस्लाम
2. आसमौहम्मद पिसरान गडडर जाति मेव निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी

प्रार्थीगण

बनाम

1. दीनू पुत्र नत्थू जाति मेव निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी
2. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील पहाडी (भरतपुर)।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री प्रमोद शर्मा वकील प्रार्थीगण
2. श्री सतीश शर्मा वकील अप्रार्थी संख्या 1

दिनांक :–27/07/2021

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 3860/0.70 बांके ग्राम कैथवाडा द्वितीय तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुतदाविया प्रार्थीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता गडडर पुत्र हसन खां की खातेदारी की आराजी है जो फौत हो चुके है। जिनके प्रार्थीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण वारिसान है। आराजी मुतदाविया को वहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में प्रार्थीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त आराजी से दूर–दूर तक किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वह लठ्ठ व ताकत के बल पर उक्त आराजी मुतदाविया में मजाहमत व मदाखलत करता रहता है जिसके सवव अप्रार्थी संख्या 1 ने नींव खोदकर पत्थर आदि डालना शुरू कर दिया है और दिनांक 01/06/2021 को ग्राम कैथवाडा में स्पष्ट शब्दो में

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

धमकी दी है कि उक्त आराजी पर पक्का निमार्ण करके रहूँ और तुम्हे बेदखल करके रहूँगा । यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को अपरमित क्षति होगी । जिसकी क्षतिपूर्ति जर्रे नकद से सम्भव नहीं हो सकेगी । प्राईमा फैसाई केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति हम प्रार्थीगण के पक्ष में प्रकट होती है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत न करे , पक्का निर्माण नहीं करे एवं राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आया। दिनांक 20/07/2021 को जबाब इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 3860/0.70 का गड्डर पुत्र हसन खाँ रिकॉर्डेड खातेदार है प्रार्थी की खातेदारी का खसरा नम्बर 3359 है जो प्रार्थीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता गड्डर की खातेदारी के रकबा से लगा हुआ था। बाद में प्रार्थी के खातेदारी के रकबे से सडक निकल जाने के कारण दूसरी दिशा में यानि गड्डर की आराजी के पास प्रार्थी का कुछ हिस्सा रह गया था जिस पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त है ।प्रार्थीगण ने अपने खसरा नम्बर 3860 की आड में प्रार्थी की आराजी को दबाना चाहता है जिससे प्रार्थीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का कोई भी किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। लेकिन सैटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त के रकबे को खतम करते हुए प्रार्थी के रकबे व सडक से लगता हुआ दर्शाया है। प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकॉड प्रार्थीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता की खातेदारी की भूमि है प्रार्थीगण के पिता फौत हो चुके है विवादित आराजी पर प्रार्थीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का मुताबिक हिस्सा कब्जा व काश्त है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है। जिससे प्रार्थीगण के हितों पर विपरीत प्रभाव पडेगा। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण में निहित है।
2. **सुविधा का सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता की खातेदारी की भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण मुताबिक हिस्सा कब्जा व काश्त है। अगर प्रार्थीगण की भूमि पर अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा कब्जा किया जाता है तो अनावश्यक विवाद बढेगा । जिससे असुविधा भी प्रार्थीगण को ही अधिक होगी । अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण में निहित है।

3. **अपूरणीय क्षति :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण में निहित है । अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण में निहित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसला मूल वाद विवादित आराजी खसरा नम्बर 3860/0.70 हैक्टर बांके ग्राम कैथवाडा द्वितीय तहसील पहाडी पर मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 27/07/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)